भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2717
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन</u>

2717. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में कोई विश्लेषण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की योजना बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या सरकार घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) कॉप-26 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 211.40 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 92.12 गीगावाट सौर विद्युत, 47.72 गीगावाट पवन विद्युत, 11.33 गीगावाट जैव विद्युत, 52.05 गीगावाट जल विद्युत और 8.18 गीगावाट परमाणु विद्युत शामिल है। महाराष्ट्र राज्य सहित देश में स्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) जी, हाँ। सरकार देश में घरेलू स्तर पर अक्षय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, पीएम-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) और बायोगैस कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

(ग) से (ङ): जी, हाँ। पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम घटक-ख एवं घटक-ग (व्यक्तिगत पंपों का सौरीकरण) तथा बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है। ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2717 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार गैर-जीवाश्म विद्युत की स्थापित क्षमता के राज्य-वार (स्थल आधारित) ब्यौरे (मेगावाट में)								
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु जल विद्युत	पवन विद्युत	जैव विद्युत	सौर विद्युत	बड़ी जल विद्युत	परमाणु विद्युत	कुल
1	आंध्र प्रदेश	163.31	4096.65	574.39	4650.89	1610.00		11095.24
2	अरुणाचल प्रदेश	140.61		0.00	14.72	1115.00		1270.33
3	असम	34.11		2.00	180.77	350.00		566.88
4	बिहार	70.70		140.22	257.34			468.26
5	छत्तीसगढ़	76.00		275.00	1265.78	120.00		1736.78
6	गोवा	0.05		1.94	47.86			49.85
7	गुजरात	91.64	12314.48	112.98	15305.26	1990.00	1840.00	31654.36
8	हरियाणा	73.50		289.49	1905.19			2268.18
9	हिमाचल प्रदेश	993.71		10.20	137.29	10281.02		11422.22
10	जम्मू और कश्मीर	189.93		0.00	73.89	3360.00		3623.82
11	झारखंड	4.05		19.10	181.04	210.00		414.19
12	कर्नाटक	1284.73	6724.36	1909.95	8930.10	3689.20	880.00	23418.34
13	केरल	276.52	63.50	2.50	1261.76	1904.15		3508.43
14	लद्दाख	44.49		0.00	7.80	89.00		141.29
15	मध्य प्रदेश	123.71	2844.29	134.94	4248.69	2235.00		9586.63
16	महाराष्ट्र	384.28	5216.38	2984.05	8133.57	3047.00	1400.00	21165.28
17	मणिपुर	5.45		0.00	13.79	105.00		124.24
18	मेघालय	55.03		13.80	4.28	322.00		395.11
19	मिजोरम	45.47		0.00	30.35	60.00		135.82
20	नागालैंड	32.67		0.00	3.17	75.00		110.84
21	ओडिशा	115.63		59.22	608.38	2154.55		2937.78
22	पंजाब	176.10		567.25	1375.79	1096.30		3215.44
23	राजस्थान	23.85	5195.82	126.06	24553.13	411.00	1180.00	31489.86
24	सिक्किम	55.11		0.00	7.56	2282.00		2344.67
25	तमिलनाडु	123.05	11128.84	1045.45	9324.05	2178.20	2440.00	26239.59
26	तेलंगाना	90.87	128.10	221.67	4842.10	2405.60		7688.34
27	त्रिपुरा	16.01		0.00	20.93			36.94
28	उत्तर प्रदेश	49.10		2265.39	3286.98	501.60	440.00	6543.07
29	उत्तराखंड	233.82		142.24	592.07	4035.35		5003.48
30	पश्चिम बंगाल	98.50		348.36	310.47	1341.20		2098.53
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.25		0.00	29.91			35.16
32	चंडीगढ़			0.00	75.51			75.51
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव			3.75	48.12			51.87
34	दिल्ली			84.00	288.39			372.39
35	लक्षद्वीप			0.00	4.97			4.97
36	पुडुचेरी			0.00	52.27			52.27
37	अन्य		4.30	0.00	45.01			49.31
	कुल (मेगावाट)	5077.25	47716.72	11333.95	92119.18	46968.17	8180.00	211395.27

<u>अनुलग्नक-II</u>

'नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2717 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

<u>पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम और बायोगैस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में परिवारों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन</u>

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>क) पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना</td><td>आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td></tr>
<tr><td>4</td><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ख) पीएम-कुसुम योजना</td><td>घटक-खः स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।

उपलब्ध लाभः स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।

घटक-गः फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण।

व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस) के लिए उपलब्ध लाभः सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>ग) बायोगैस कार्यक्रम</td><td>(क) लघु बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर प्रति दिन क्षमता के संयंत्र) के लिए घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800/- रु. से 70,400/- रु.

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए प्रति किलोवाट 35,000/- रु. से 45,000/- रु. और थर्मल अनुप्रयोगों के लिए प्रति किलोवाट समतुल्य 17,500/- रु. से 22,500/- रु. (25-2500 घन मीटर प्रति दिन संयंत्र क्षमता)।

पात्र सीएफए पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20% अधिक होगा।</td></tr>
</table>

*****